न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 76 / बी–121 / 2015–16

: आदेश :

(आज दिनांक 18 / 07 / 2016 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार जोबट का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.4.2016 को ग्राम देहदला तहसील जोबट मे सडक दुर्घटना (पीकप वाहन एवं टाटा मैजिक टेम्पो आपस में भिडत होने से) मे निम्ननानुसार व्यक्ति ब्लॉक मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट के आधार पर गंभीर घायल होने से आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

क्रमांक	घायल व्यक्तियों के नाम	निवासी ग्राम	स्वीकृतआर्थिक सहायता
1	किशन पिता गुमानसिंह भिलाला.	नि. सिंधी	7500 / –
2	देसिंह पिता बालिया जाति भिलाला	नि. उम्दा	7500 / –
3	रीछू पिता रीछडिया भिलाला	नि. सिंधी	7500 / –
4	नारायण पिता प्रताप जाति भिलाला	नि. सिंधी	7500 / –
5	मंगलीबाई पति घुमजी जाति भील	नि. उमरी	7500 / –
6	ढुलकी पति धुमजी जाति भिलाला	नि. उमरी	7500 / –
7	श्रीमति अंजली पति दरियासिंहव जाति भिलाला	नि. उमरी	7500 / –
8	एकता पति प्रताप भिलाला	नि. जोबट	7500 / –
9	भेरूसिंह पिता केमता जाति भिलाला	नि. सिधी	7500 / –
10	भीकिया पिता मगूं भील	नि. बलेडी	7500 / –
11	अबला पिता वेस्ता भिलाला	नि. उम्दा	7500 / –
	योग :– बयासी हजार पॉच सौ मात्र		82,500 / –

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर उक्त घायलो को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एफ–20–21 / 2012 / 1 / 4 भोपाल, दिनाक 16.7.2014 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि कुल रूपये 82,500 / – (बयासी हजार पॉच सौ रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या –01–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी। अनुदान राशि पीडित व्यक्तियों को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर